

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मार्च 2013—चैत्र 7, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-13-2013-1-पांच (12).—मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वृत्तिकर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) प्ररूप-7 में, कॉलम (1) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

1,80,000 रुपये से अधिक नहीं है
1,80,000 रुपये से अधिक है
देय कर की रकम,
चालान क्रमांक तथा दिनांक सहित संदत्त रकम.”;

(2) प्ररूप-8 में, बाक्स तथा उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित बाक्स तथा उसकी प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

	कर्मचारियों की संख्या
1,80,000 रुपये से अधिक नहीं है
1,80,000 रुपये से अधिक है

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रास्थिति”;

(3) प्ररूप-15 में, कॉलम (1) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“1,80,000 रुपये से अधिक नहीं है
1,80,000 रुपये से अधिक है.”

2. यह संशोधन 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. एफ-ए 3-13-2013-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-13-2013-1-पांच, (12), दिनांक 28 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th March 2013

No. F-A 3-13-2013-1-V(12).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhinyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Vritti Kar Niyam, 1995, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in Form-7, in column (1), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“does not exceed rupees 1,80,000
exceeds rupees 1,80,000
Amount of tax payable.
Amount paid with challan No. and Date.”;

(2) in Form-8, for the box and entries therein, the following box and entries therein shall be substituted, namely:—

	No. of employees
“does not exceed rupees 1,80,000
exceeds rupees 1,80,000

Place :
Date :

Signature :
Status :

(3) in Form-15, under column (1), for the existing entries, the following entries shall be substituted,

“does not exceed rupees 1,80,000
exceeds rupees 1,80,000.”.

2. This amendment shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.